

आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड
(वाणिज्य कर विभाग)

संख्या :2319/आ0रा0क0उ0/जी0एस0टी0—विधि अनुभाग /2017–18
देहरादून :: दिनांक :: 08 अगस्त, 2017

अधिसूचना

उत्तराखण्ड माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, एतदद्वारा, विनिर्दिष्ट करता हूँ कि निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररूप-जीएसटीआर-3ख में इलैक्ट्रानिक रूप से समान पोर्टल के माध्यम से, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट तारीखों से पूर्व दी जाएगी, अर्थात्:--

सारणी

क्रम सं0	मास	जीएसटीआर-3ख फाइल किए जाने की तारीख
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई, 2017	20 अगस्त, 2017
2	अगस्त, 2017	20 सितंबर, 2017

2. यह अधिसूचना दिनांक 08 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी।

(श्रीधरबाबू अदांकी)

आयुक्त राज्य कर,

उत्तराखण्ड।

Commissioner State Tax Uttarakhand

(Commercial Tax Department)

No :²³¹⁹ /CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18

Dehradun :: Dated ::⁰⁸ August, 2017

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 61 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, read with section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Act, 2017 (06 of 2017), I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal before the dates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Serial Number	Month	Date for filing of GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	July, 2017	20 th August, 2017
2.	August, 2017	20 th September, 2017.

2. This notification shall come into force with effect from the 8th day of August, 2017.



(Sridharbabu Addanki)
Commissioner State Tax,
Uttarakhand.